रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 205] नई दिल्ली, शनिवार, जून 21, 1975/ज्येष्ठ 31, 1897

No. 205] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 21, 1975/JYAISTHA 31, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies and Co-operation)

ORDER

New Delhi, the 21*st June* 1975

S.O. 270(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Co-operation), No. S.O. 681(E), dated the 30th November, 1974, namely :—

After (a) insert the following, namely :—

"(aa) that in making any order relating to inspection of consumer cards and retail outlets for the distribution of controlled commodities, such as, foodstuffs including sugar, kerosene, soft coke and cloth, in the Union Territory of Delhi, the Administrator may, without prejudice to the foregoing provisions, authorise such person or body of persons, as it may deem fit."

[No. 26(8)/75-CS.II]

A. F. COUTO, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 जून, 1975

का०आ० 270(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना संख्या 681 (ड०), तारीख 30 नवम्बर, 1974, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

(क) के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जायगा, अर्थात्:-

"(कक) नियंत्रित वस्तुओं, जैसे कि खाद्य पदार्थ, जिनके अन्तर्गत शक्कर, करोसीन, कच्चा कोयला और कपड़ा सम्मिलित हैं, दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में वितरण के लिये उपभोक्ता कार्डों और थोक निकासी के स्थानों के निरीक्षण के संबंध में कोई आदेश करने में प्रशासक, पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को प्राधिकृत कर सकता है जिन्हें वह ठीक समझे ।"

[सं० 26(8)/75-सी एस० II]

ए० एफ० काउटो, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975